



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

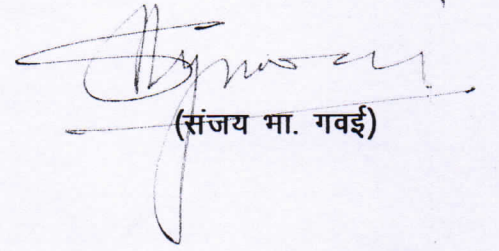
संजय भा. गवई
कुलसचिव
Sanjay B. Gawai
Registrar

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-230902

पत्रांक : स्था/४४२०/२०१५/म.ग.अ.हि.वि.
दिनांक : २६/०२/२०१५

कार्यालयादेश

सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय में नियमित कर्मियों की सीमित संख्या, कार्य की अधिकता एवं वित्तीय बाध्यताओं के कारण प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मों अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय में सेवा देने हेतु उपस्थित हों। इस दौरान उनके प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तार या अन्यत्र प्रतिनियुक्ति से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


(संजय भा. गवई)

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
5. प्रभारी, लीला विभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. जनसंपर्क अधिकारी को विश्वविद्यालय के समस्त कर्मियों को ई-मेल करने हेतु।
7. समस्त प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मियों एवं संस्थान को सूचनार्थ।
8. संबंधित पत्रावली
9. गार्ड फाइल